इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 मई 2011—वैशाख 17, शक 1933

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

क्र. 633-रा.स./यू.ए.-5-2011.—इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 1637-रास-यू.ए.-5-08, दिनांक 20 अक्टूबर 2008 के अनुक्रम में महामहिम कुलाधिपतिजी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (नौ) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा द्वारा चुने हुए निम्नांकित सदस्यों को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं :—

1. श्री अरविन्द सिंह भदौरिया,
   वार्ड क्रमांक 19, हाउसिंग बोर्ड कालोनी के निकट,
   भिण्ड (म.प्र.).

2. श्री प्रहलाद भारती,
   वर्मा सदन, अस्पताल चौराहा, कोर्ट रोड,
   शिवपुरी (म.प्र.).

3. श्री लाखन सिंह यादव,
   रामद्वार रोड, लक्ष्मीगंज, लश्कर,
   डॉ. कमल किशोर के पास,
   ग्वालियर (म.प्र.).

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसिचव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.